अत्यंत महत्वपूर्ण
वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2023

पत्रांक : केन्द्रीय (मा०)–329/22–के०–144

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 06/02/2023

विषयः वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2023 के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के उपयोग हेतु सभी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि **वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2023 कार्यक्रमानुसार दिनांक 14.02.2023 से 22.02.2023 तक** दोनों पालियों में आयोजित होगी। इस परीक्षा के संचालन हेतु उपयोगी सामग्री यथा–**विभिन्न आकार एवं रंग का लिफाफा (चस्पे स्टिकर सहित), कॉरूगेटेड बॉक्स (चस्पे स्टिकर सहित), प्लास्टिक पॉली बैग एवं केन्द्राधीक्षक नियुक्ति पत्र, सहमति पत्र, परीक्षा संचालन निर्देशिका, विधि–व्यवस्था संबंधित पत्र, अन्य प्रशासनिक पत्र, रौलशीट, ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक एवं उत्तरपुस्तिका के डिस्पैच मेमो का बुकलेट, वीक्षक का घोषणा पत्र, परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की प्रति, परीक्षा कार्यक्रम की प्रति, विषय न्यूमेरिक कोड, गश्ती जोनल पंजी, कदाचार संबंधी प्रपत्र, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (R1, R2, A1, A2, S1 to S10) एवं अन्य प्रपत्रादि** केन्द्रवार कॉरूगेटेड बॉक्स में पैकिंग कर आपके कार्यालय में भेजा जा चुका है। साथ ही **समिति कार्यालय पत्रांक–केन्द्रीय (मा०)–329/22–के0–136, दिनांक 03.02.2023** द्वारा इसका अविलंब वितरण, जाँच तथा सुरक्षित संधारण हेतु स्पष्ट निदेश निर्गत है।

2. आप अवगत् हैं कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दोनों पालियों में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र/छात्राओं के **नाम, फोटो, रौल कोड, रौल नंबर, परीक्षा केन्द्र आदि प्री–प्रिन्टेड विवरणी सहित सभी विषयों के डाटायुक्त (Variable) सामग्री यथा–ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक, उत्तरपुस्तिका, उपस्थिति पत्रक (A & B) एवं अनुपस्थिति पत्रक** समिति के चयनित एजेंसी द्वारा **दिनांक 14.01.2023 से** प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों को सीधे आपूर्ति की जा रही है। स्पष्ट किया जाता है कि कुछेक परीक्षा केन्द्रों पर यह सामग्री आपूर्ति नहीं की गई है, जो **दिनांक 06.02.2023** तक आपूर्ति कर दी जायेगी। इन सामग्रियों को प्राप्त करने तथा इनके सुरक्षित रख–रखाव हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी/परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु **समिति का पत्रांक–केन्द्रीय (मा०)–329/22–के0–51, दिनांक 12.01.2023** के माध्यम से अनुरोध किया गया है।

3. अंकनीय है कि किसी छात्र/छात्राओं के आपूरित डाटायुक्त (Variable) सामग्री में मुद्रण दोष अथवा त्रुटि/विसंगति पाये जाने के कारण उत्पन्न आकस्मिकता की स्थिति में उपयोग हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के कुल छात्र/छात्राओं का 04 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत **डाटारहित (Non Variable) सामग्री यथा–ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक, उत्तरपुस्तिका, उपस्थिति पत्रक (A & B) एवं अनुपस्थिति पत्रक प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए आपके कार्यालय में आपूर्ति की जा चुकी है।** इसलिए यह परम आवश्यक है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रत्येक केन्द्राधीक्षक को अपने केन्द्र के लिए 04 प्रतिशत डाटारहित (Non Variable) सामग्री अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिया जाय। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार केन्द्राधीक्षक की अधियाचना पर रिजर्व स्टॉक के रूप में संधारित 0.5 प्रतिशत डाटारहित (Non Variable) सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। **यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि डाटारहित सामग्रियों का उपयोग आकस्मिकता की स्थिति में ही किया जायेगा। यदि डाटायुक्त सामग्री उपलब्ध है, तो किसी भी परिस्थिति में इनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।**

4. विदित हो कि परीक्षा संचालन निर्देशिका ज्ञापांक–केन्द्रीय (मा0)–923/20–22–के0 15, दिनांक 05.01.2023 की **कंडिका–42, 47, 48 एवं 49** में डाटायुक्त अवशेष अव्यवहृत सामग्री, आपूरित डाटारहित सामग्री एवं इनका विषयवार उपयोग/अवशेष आदि की विवरणी विहित प्रपत्र में तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु स्पष्ट निदेश अंकित है, इसलिए आपके स्तर पर सभी केन्द्राधीक्षक को इसके लिए निदेशित किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। किसी परीक्षा केन्द्र पर तिथिवार/विषयवार/पालीवार में यदि डाटारहित सामग्री का उपयोग नहीं होता है, तो शून्य प्रतिवेदन ही भेजा जाना अपेक्षित एवं अनिवार्य होगा।

5. **विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सभी केन्द्राधीक्षक के स्तर पर उपर्युक्त सामग्रियों को प्राप्त करने के उपरांत परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से जाँच कर लिया जाना है ताकि परीक्षा संचालन के समय उनके द्वारा किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता, उसमें मुद्रण दोष अथवा त्रुटि/विसंगति तथा अन्य किसी समस्या के संदर्भ में सूचना देने पर आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होने के कारण परीक्षा बाधित न हो। इसलिए आपूरित इन सामग्रियों के जाँचोपरांत किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो दो (02) दिनों के अंदर अर्थात् दिनांक 08.02.2023 तक केन्द्राधीक्षक**

द्वारा अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला में शिक्षा संवर्ग के नामित नोडल पदाधिकारी एवं समिति को अनिवार्य रूप से अवगत कराना/सामग्रियों की अधियाचना देना नितांत आवश्यक है। यदि परीक्षा केन्द्राधीक्षक द्वारा निर्धारित अवधि के बाद इस संदर्भ में किसी प्रकार की समस्या की सूचना दी जाती है, तो इसे उनके स्तर पर इस महत्वपूर्ण कार्य के निर्वहन में शिथिलता/लापरवाही के रूप में लिया जायेगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिले के लिए नामित विभागीय नोडल पदाधिकारी एवं अपने जिलान्तर्गत सभी केन्द्राधीक्षक को इस पत्र की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

6. आपूरित सामग्रियों में से कोई सामग्री अप्राप्त/अनुपलब्ध/त्रुटिपूर्ण/मुद्रणदोष हो एवं किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इसकी अधियाचना/उपलब्धता हेतु आवश्यक सूचना अविलंब परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक) का मोबाईल नंबर–9431057268, उप परीक्षा नियंत्रक (मा0) के मोबाईल नंबर–7979815223, अपर सचिव, भंडार का मोबाईल नंबर–9431632392 तथा प्रशाखा पदाधिकारी (केन्द्रीय, मा०) के मोबाईल नंबर–9661704660, 9431880913 पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इस संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक (मा०) के ई–मेल आई0डी0 coemat-bseb-bih@gov.in पर भी किसी समस्या से अवगत कराया जा सकता है।

7. उपर्युक्त के संदर्भ में समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या–**पी0आर0 42/2023 आज दिनांक 06.02.2023** को दैनिक समाचार पत्रों में सभी संबंधितों के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रसारित की जा चुकी है तथा इसकी प्रति **ज्ञापांक–केन्द्रीय (मा0)–329/22–के0 141, दिनांक 05.02.2023** के द्वारा आपके ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित है। इस पूरी प्रक्रिया में कोविड–19 के SOP (Standard Operating Procedure) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार का भी पूरा ध्यान रखा जाय।

8. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि आपके कार्यालय में आपूरित कंडिका–1 एवं 3 में वर्णित सामग्रियों को अपने जिलान्तर्गत सभी केन्द्राधीक्षक/उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत दूत को दिनांक **07.02.2023 तक** अनिवार्य रूप से वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कंडिका–2 में वर्णित सामग्री जिन परीक्षा केन्द्र को अभी तक आपूर्ति नहीं की गयी है, उन परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक 06.02.2023 तक आपूर्ति के दरम्यान अनिवार्य रूप से प्राप्त करने हेतु स्पष्ट निदेश देंगे। यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त आलोक में परीक्षा केन्द्र को प्राप्त/आपूरित उपर्युक्त सामग्रियों को **दिनांक 07.02.2023 तक जांच** कर आश्वस्त हो लेने तथा इन सामग्रियों को सुरक्षित संधारण कराने, इनकी गोपनीयता बनाये रखने एवं किसी भी परिस्थिति में यह क्षतिग्रस्त न हो, के लिए अपने स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए केन्द्राधीक्षक को निदेशित करने की कृपा करेंगे।

9. कृपया इसे अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

06.02.23

6/2/23

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)–329/22–के0-144/पटना, दिनांक : 06/02/2023